संख्या– 460 /XXVII(1)/2008

प्रेषक,

टी0एन0सिंह,
अपर सचिव (वित्त)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग– 1 देहरादून दिनांक 02 जून ~~मई~~ 2008

विषयः– नाबार्ड द्वारा वर्ष 2000–01 में स्वीकृत एल0टी0ओ0 ऋण की वर्ष 2008–09 में त्रैमासिक देय ब्याज का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड द्वारा वर्ष 2000–01 मे एल0टी0ओ0 के रूप में स्वीकृत ऋण की वर्ष 2008–09 में त्रैमासिक देय ब्याज के भुगतान हेतु रू0 70,218.00 (रूपये सत्तर हजार दो सौ अठारह मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने तथा आवश्यकतानुसार आहरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त व्यय शासन के सुसंगत आदेश/ निर्देशों एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के अनुसार किया जाय।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों में किया जाय, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है, यदि उसका उपयोग किसी अन्य मद मे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी उसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4. उक्त धनराशि का आहरण नाबार्ड/ निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार समयान्तर्गत बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

5 उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को उपलब्ध कराई जायेगी। अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड उक्त धनराशियॉ नाबार्ड को समयान्तर्गत उपलब्ध करायेंगे।

उक्त व्यय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक में अनुदान संख्या –07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2049–ब्याज अदायगियां–आयोजनेत्तर–01–आन्तरिक ऋणों पर ब्याज–200–अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज–07– नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज –00–32–ब्याज/लाभांश के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव (वित्त)

संख्या 460(1)/ XXVII(1)/ 2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड माजरा ,देहरादून।
2. सचिव सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।

3. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
6. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव (वित्त)